



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना स्योहारा

दिनांक- 12.10.2024

**थाना स्योहारा पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 04 अभियुक्तगणों को अवैध शस्त्र, पीली व सफेद धातू के आभूषण व नगदी सहित किया गिरफ्तार तथा 03 अभियोगों का किया अनावरण ।**

### कार्यवाही विवरण :-

दिनांक 09.07.2024 को वादी श्री रहीस अहमद पुत्र बुन्दू निवासी मौ सरायकलां कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि मोटरसाइकिल सवार 03 व्यक्तियों 1- अभियुक्त शादाब उर्फ सोनू बटला पुत्र बुन्दू निवासी मौ0 रबनदक कस्बा ताजपुर नूरपुर जनपद बिजनौर व 02 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी की बेटी से पर्स छीन लिया। पर्स में नगदी व सोने चांदी के आभूषण थे। इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 331/24 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



दिनांक 07.10.2024 को वादी श्री अवनीश कुमार पुत्र श्री राम रक्षपाल निवासी ग्राम मौहल्ला पटवारियान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की मोटरसाइकिल पर टंगे 02 थैलो को लेकर भाग गये, जिसमें परचून का सामान आदि था। इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 483/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 09.10.2024 को वादी श्री मौहम्मद नवेद पुत्र हसामुद्दीन निवासी ग्राम हातमपुर शेख थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरो द्वारा वादी के बंद पड़े घर से सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिये हैं। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 545/24 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत किया गया।

थाना स्योहारा पर पंजीकृत उपरोक्त घटनाओं के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। जिसके क्रम में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान 1- शादाब उर्फ सोनू बटला पुत्र बुन्दू निवासी मौ0 खन्दक कस्बा ताजपुर थाना नूरपुर जिला बिजनौर 2- अनुज वर्मा पुत्र शशि कुमार वर्मा निवासी मौ0 कमला विहार पीतल नगरी थाना कटघर मुरादाबाद 3- धनु कुमार पुत्र सिपाही राय निवासी ग्राम बंगांही थाना गरखा जिला छपरा (बिहार) 4- अमित मिश्रा पुत्र भृगनाथ मिश्रा निवासी ग्राम पकरोल थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ के नाम प्रकाश में आये।

### कार्यवाही का विवरण -

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर लूट की योजना बना रहे उपरोक्त अभियोगों में वांछित अभियुक्तगण 1- शादाब उर्फ सोनू बटला 2- अनुज वर्मा पुत्र शशि कुमार वर्मा 3- धनु कुमार पुत्र सिपाही राय 4- अमित मिश्रा पुत्र भृगनाथ मिश्रा को 02 तमचे 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर, दो चाकू नाजायज, पीली व सफेद धातु के आभूषण व 3000/- हजार रुपये नगदी सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0

497/24 धारा 312/313 बीएनएस व धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा मु0अ0सं0 331/24, मु0अ0सं0 483/24 व मु0अ0सं0 545/24 में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

अभियुक्तो ने पूछताछ पर बताया कि हमने स्योहारा के ग्राम मंगलखेडा के पास ई-रिक्शा में बैठी लडकी से बैग छीन लिया था, जिसमें हमें नगदी व आभूषण मिले थे। नगदी को हमने आपस में बांटकर खर्च कर लिया था तथा इसके अलावा हमने रामलीला ग्राउंड के पास से एक मोटरसाइकिल से 02 थैले चुराये थे, जिनमें सिगरेट, तबांकू व गूटके आदी थे। जिस समान को हमने आने जाने वालो लोगो को 5000/- रुपये में बेच दिया था। हमसे बरामद रुपये 3000/- रुपये उसी समान ब्रिकी के है। मैने (शादाब उर्फ सोनू) व अपने साथी अनुज वर्मा के साथ मिलकर थाना चांदपुर के बंद मकान से भी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और आज हम एक लूट की घटना की योजना बना रहे थे।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

- 1- शादाब उर्फ सोनू बटला पुत्र बुन्दू निवासी मौ0 खन्दक कस्बा ताजपुर थाना नूरपुर जिला बिजनौर।
- 2- अनुज वर्मा पुत्र शशि कुमार वर्मा निवासी मौ0 कमला विहार पीतल नगरी थाना कटघर मुरादाबाद।
- 3- धनु कुमार पुत्र सिपाही राय निवासी ग्राम बंगांही थाना गरखा जिला छपरा (बिहार)।
- 4- अमित मिश्रा पुत्र भृगनाथ मिश्रा निवासी ग्राम पकरोल थाना दीदारगंज जिला आजमगढ़।

### बरामदगी का विवरण -

02 तंमचे 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

दो चाकू नाजायज

पीली व सफेद धातु के आभूषण।

3000/- हजार रुपये नगद।

### अभियुक्त शादाब उर्फ सोनू उपरोक्त का अपराधिक इतिहास -

- 1- मु0अ0सं0 340/21 धारा 380/411 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
- 2- मु0अ0सं0 331/24 धारा 304/317(2) बीएनएस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
- 3- मु0अ0सं0 483/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
- 4- मु0अ0सं0 497/24 धारा 312/313 बीएनएस व धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना स्योहारा बिजनौर।
- 5- मु0अ0सं0 545/24 धारा 305 बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

### अभियुक्त अनुज वर्मा उपरोक्त का अपराधिक इतिहास -

- 1- मु0अ0सं0 208/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटघर जनपद मुरादाबाद।
- 2- मु0अ0सं0 228/22 धारा 307 भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
- 3- मु0अ0सं0 229/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
- 4- मु0अ0सं0 297/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना स्याना जनपद बुंदलशहर।
- 5- मु0अ0सं0 331/24 धारा 304/317(2) बीएनएस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
- 6- मु0अ0सं0 483/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
- 7- मु0अ0सं0 497/24 धारा 312/313 बीएनएस व धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना स्योहारा बिजनौर।
- 8- मु0अ0सं0 545/24 धारा 305 बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

### अभियुक्त धनु कुमार उपरोक्त का अपराधिक इतिहास -

- 1- मु0अ0सं0 91/18 धारा 504 भादवि थाना रेवती जनपद बलिया।
- 2- मु0अ0सं0 480/21 धारा 417/420 थाना स्वार जनपद रामपुर।
- 3- मु0अ0सं0 342/23 धारा 349/411 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 4- मु0अ0सं0 429/23 धारा 406/411/420 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

- 5-मु0अ0सं0 298/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद बुलन्दशहर ।
- 6-मु0अ0सं0 331/24 धारा 304/317(2) बीएनएस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 7-मु0अ0सं0 437/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 8-मु0अ0सं0 483/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 9-मु0अ0सं0 497/24 धारा 312/313 बीएनएस व धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना स्योहारा बिजनौर ।

#### अभियुक्त अमित मिश्रा उपरोक्त का अपराधिक इतिहास -

- 1- मु0अ0सं0 141/19 धारा 420/406/411 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ ।
- 2- मु0अ0सं0 4/20 धारा 406 भादवि थाना शाहगंज जनपद जौनपुर ।
- 3- मु0अ0सं0 28/20 धारा 420 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद अम्बेडकर नगर ।
- 4- मु0अ0सं0 89/20 धारा 379 भादवि जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर ।
- 5- मु0अ0सं0 206/20 धारा 3(1) गैंगस्टर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर ।
- 6-मु0अ0सं0 395/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ ।
- 7- मु0अ0सं0 331/24 धारा 304/317(2) बीएनएस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 8- मु0अ0सं0 483/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 9- मु0अ0सं0 497/24 धारा 312/313 बीएनएस व धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना स्योहारा बिजनौर ।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- श्री अवनीत मान, थाना प्रभारी स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2- व0उ0नि0 सुरजीत सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3- उ0नि0 कृपाल सिंह, थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 4- उ0नि0 यशदेव शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 5- उ0नि0 सुनील कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 6- मुख्य आरक्षी असकर खान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 7- मुख्य आरक्षी किशनपाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 8- आरक्षी अमित भाटी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 9- आरक्षी रजनीश थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 10- आरक्षी पंकज कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नगीना

दिनांक 12.10.2024

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 278/24 धारा 74/127(2)/115(2)/351(2)/ बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.10.2024 को वादी ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि अभियुक्त 1.बाबूराम सैनी पुत्र जागन सिंह सैनी निवासी निजामपुर देवसी थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ अश्लील हरकते की गई तथा अभियुक्तगण 2.सरवन कुमार पुत्र बाबूराम सैनी, 3.ग्राम प्रधान पत्नी सरवन कुमार व 4.नेपाल की पत्नी समस्त निवासीगण निजामपुर देवसी थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई । तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 278/2024 धारा 74/127(2)/115(2)/351(2) बीएनएस, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही-

आज दिनांक 12.10.2024 थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त बाबूराम सैनी पुत्र जागन सिंह सैनी निवासी निजामपुर देवसी थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

बाबूराम सैनी पुत्र जागन सिंह सैनी निवासी निजामपुर देवसी थाना नगीना जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना नगीना बिजनौर
- 2.कां0 1591 प्रदीप कुमार थाना नगीना बिजनौर
3. कां0 1167 मौ0 आरिफ थाना नगीना बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 12.10.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने 02 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही का विवरण –

आज दिनांक 12.10.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.आकिब पुत्र मसीर अहमद 2.मौ० जैद पुत्र मन्नान निवासीगण ग्राम फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बंध में थाना स्योहारा पर मु०अ०सं० 496/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम आकिब व मौ० जैद उपरोक्त पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.आकिब पुत्र मसीर अहमद निवासी ग्राम फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.मौ० जैद पुत्र मन्नान निवासी ग्राम फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

### बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ०नि० श्री कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.हे०कां० 137 असकर खान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.कां० 339 जितेन्द्र कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 4.कां० 1849 मोनू थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक 12.10.2024

थाना मण्डावर पुलिस ने मु0अ0सं0 259/24 धारा 137(2) / 127(2) / 351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.10.2023 को वादी द्वारा थाना मंडावर पर तहरीर दी गयी कि गुल्लू निवासी ग्राम लिब्बाहेडी थाना मंगलोर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 259/24 धारा 137(2) बीएनएस बनाम गुल्लू उपरोक्त पंजीकृत किया गया। दिनांक 04.10.2024 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अपहृता को बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 127(2) / 351(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।



### कार्यवाही –

आज दिनांक 12.10.2024 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गुल्लू पुत्र कल्लू निवासी ग्राम लिब्बाहेडी थाना मंगलोर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

गुल्लू पुत्र कल्लू निवासी ग्राम लिब्बाहेडी थाना मंगलोर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2. कां0 1256 विपिन तोमर थाना मंडावर जनपद बिजनौर
3. कां0 877 रोशनलाल थाना मंडावर जनपद बिजनौर



## जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना को0 शहर

दिनांक 12.10.2024

**थाना को0 शहर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की 02 मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.10.2024 को वादी श्री आकान्शु सोलंकी पुत्र संजीव कुमार निवासी ग्राम शेरपुर कल्याण थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वादी की मोटर साइकिल (पंजी0 सं0 UP20CH-9492 को चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 949/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 09.10.2024 को वादी कामेन्द्र पुत्र श्री सुनील कुमार निवासी ग्राम मधुसुदनपुर नंद उर्फ झलरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा लाइफ लाइन अस्पताल बिजनौर के सामने से वादी की मोटरसाइकिल (पंजी0 सं0 UP20BU3720) को चोरी कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 961/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त विकास पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम झबरपुर थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर का नाम प्रकाश में आया।



### कार्यवाही-

आज दिनांक 12.10.2024 को कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त विकास पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम झबरपुर थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर को चोरी की मोटरसाइकिल हीरो स्पेलेंडर रजि0 नं0 UP20CH-9492 सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त विकास उपरोक्त की निशादेही पर मु0अ0सं0 961/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित चोरी की गई मोटरसाइकिल पंजी0 सं0 UP20BU-3720 को बरामद किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। बरामदगी के आधार पर दोनो अभियोगों में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की वृद्धि की गई।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विकास पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम झबरपुर थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर।

### बरामदगी का विवरण:-

एक मोटरसाइकिल UP20CH9492 ( हीरो स्पेलेंडर )।

एक मोटरसाइकिल UP20BU3720 (स्पेलेंडर प्लस)।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 मृदुल सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 2.उ0नि0 राघवेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 3.हे0का0 773 अरुण कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 4.का0 1084 मोहित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 5.का0 1198 संदीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 6.का0 2167 अरुण पवार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 7.का0 2502 विशाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 8.का0 1892 दीपक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हल्दौर

दिनांक – 12.10.2024

**थाना हल्दौर पुलिस ने ग्राम खारी में कब्र को खुर्द-बुर्द करके कब्र से मृत शरीर का सिर ले जाने वाले 02 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त फावड़ा व लोहे की आरी सहित किया गिरफ्तार ।**

### घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.09.2024 को वादी मौ० फैजान पुत्र स्व० कारी सैफुर्हमान निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि वादी के पिता का देहान्त दिनांक 25.07.2024 को हो गया था । दिनांक 23.09.2024 की सुबह वादी को सूचना मिली कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के पिता स्व० कारी सैफुर्हमान की कब्र को खुर्द-बुर्द कर दिया तथा कब्र से मृत शरीर से सिर गायब मिला है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु०अ०सं० 274/2024 धारा 301 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.कसीमुद्दीन पुत्र हसीमुद्दीन निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 2.रामवीर पुत्र पीतम सिंह निवासी फिरोजपुर उग्रसैन उर्फ मोजीपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये ।



### कार्यवाही का विवरण –

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.कसीमुद्दीन पुत्र हसीमुद्दीन निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 2.रामवीर पुत्र पीतम सिंह निवासी फिरोजपुर उग्रसैन उर्फ मोजीपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त फावड़ा व लोहे की आरी बरामद की गयी । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

### पूछताछ का विवरण –

पूछताछ पर दोनो अभियुक्तों ने बताया की हम दोनो साथ मिलकर तंत्र-मंत्र की क्रिया करते है एवं सट्टे का नम्बर भी लगाते है । विगत कुछ समय से हम अपनी क्रिया में सफल नहीं हो रहे थे तो हमने सोचा की कारी सैफुर्हमान जोकि काफी अच्छी छवि के व्यक्ति थे, अगर उनकी गर्दन से तंत्र-मंत्र कर सट्टे की क्रिया की जाये तो हमारी सट्टे की क्रिया सिद्ध हो सकती है । इसलिये हम दोनो ने दिनांक 22/23.09.2024 की रात्रि में ग्राम खारी के कब्रिस्तान से मृतक कारी सैफुर्हमान की कब्र को खोदकर तंत्र-मंत्र कर सट्टे की क्रिया करने के लिये उनकी गर्दन कब्र से निकाल ली थी ।

अभियुक्त कसीमुद्दीन ने बताया कि कारी सैफुर्हमान की गर्दन मेरे पास थी और इस घटना से समाज में काफी आक्रोश हो गया था, जिस कारण मैं घबरा गया था और पुलिस से बचने के लिये दिनांक 27.09.2024 को दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से बом्बे चला गया था । मैंने बом्बे पहुंचकर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से कारी सैफुर्हमान की गर्दन को समुद्र में फेंक दिया था ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.कसीमुद्दीन पुत्र हसीमुद्दीन निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 2.रामवीर पुत्र पीतम सिंह निवासी फिरोजपुर उग्रसैन उर्फ मोजीपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

### बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त फावड़ा व लोहे की आरी

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.श्री रामप्रताप, थानाध्यक्ष हल्दौर जनपद बिजनौर
- 1.उ0नि0 श्री सुभाष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0कां0 31 अमित कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 3.कां0 773 शुभम राठी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 4.कां0 1983 दुष्यन्त कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक – 12.10.2024

**थाना अफजलगढ पुलिस ने अभियुक्त को 03 किलो 700 ग्रा0 डोडा पोस्त सहित किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों के विक्रय/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध नशीले पदार्थों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त हरवेन्द्र सिंह पुत्र अनूप सिंह निवासी ग्राम लक्खीवाला थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को एक प्लास्टिक के कट्टे में करीब 03 किलो 700 ग्रा0 डोडा पोस्त सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 323/24 धारा 08/15 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही –

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त हरवेन्द्र सिंह पुत्र अनूप सिंह निवासी ग्राम लक्खीवाला थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

हरवेन्द्र सिंह पुत्र अनूप सिंह निवासी ग्राम लक्खीवाला थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 60 राकेश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 2487 शैलेन्द्र कान्त थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 12.10.2024

**थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 494/24 धारा 299/353(2) बीएनएस व 66 आईटी एक्ट से सम्बन्धित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया ।**

### संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि सोशल मीडिया (ट्वीटर) पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, जिसमें एक किशोर द्वारा अपनी इंस्टाग्राम आइडी से समुदाय विशेष के आराध्य के विरुद्ध अभद्र / अशोभनीय टिप्पणी की गयी। इस सम्बंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 494/2024 धारा 299/353(2) बीएनएस व 66 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

### कार्यवाही –

आज दिनांक 12.10.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 494/2024 धारा 299/353(2) बीएनएस व 66 आईटी एक्ट से सम्बंधित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है

### बाल अपचारी का नाम व पता –

बाल अपचारी

### पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम –

- 1.श्रीमति रीता, निरीक्षक अपराध थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री नरेन्द्र, बाल कल्याण अधिकारी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.कां0 जयप्रकाश थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 4.कां0 बब्लू थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 12.10.2024

**थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 117/24 धारा 147/148/149/307/429 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.03.2024 को वादी श्री लखविन्दर सिंह पुत्र जनरैल सिंह निवासी ग्राम पाडला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण भूल्लन पुत्र अल्लादिया निवासी ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर आदि 05 नामजद व 02 अज्ञात अभियुक्तगणों द्वारा वादी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिसमें वादी के कुत्ते को गोली लग गयी और जिससे कुत्ते की मृत्यु हो गयी। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 117/24 धारा 147/148/149/307/429 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना अपराध शाखा, मुरादाबाद से की जा रही है। उपरोक्त अभियोग में एक बाल अपचारी को पूर्व में ही नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है तथा अभियुक्त फुरकान को गिरफ्तार किया जा चुका है।



### कार्यवाही –

आज दिनांक 12.10.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 117/24 धारा 147/148/149/307/429 भादवि में वांछित अभियुक्त शमीम पुत्र लियाकत उर्फ भोलू निवासी ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

### अभियुक्त का नाम व पता –

शमीम पुत्र लियाकत उर्फ भोलू निवासी ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 30/2014 धारा 147/148/336/504/506/452 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 424/22 धारा 147/323/325/354/506 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 891/22 धारा 332/353/504/506/342/511 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 298/23 धारा 380/411 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 02/24 धारा 307/395ए/341/323/506 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 117/24 धारा 147/148/149/307/429 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2-मुख्य आरक्षी रणधीर सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3-मुख्य आरक्षी गजेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 4-आरक्षी संजीव कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 5-आरक्षी संदीप कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 6-आरक्षी बालेन्द्र थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नूरपुर

दिनांक 24.10.2024

**थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 416/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड में घायल अवस्था में किया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से अवैध शस्त्र व गौवध करने के उपकरण बरामद किये गये ।**

### संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 23.10.2024 को वादी श्री राहुल कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम गुनियाखेडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि ग्राम गुनियाखेडी के जंगल में प्रतिबन्धित गौवंशीय अवशेष मिले हैं । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 416/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर, घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया । जिसके क्रम में शमशाद निवासी ग्राम गुनियाखेडी थाना



नूरपुर जनपद बिजनौर के मकान से गौकशी की घटना में प्रयुक्त उपकरण बरामद किये गये । विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियोग में अभियुक्तगण 1- नाजिर पुत्र मेहन्दी निवासी ग्राम बेड़ा खुर्द थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2- शाहरुख पुत्र नईमुद्दीन 3- श्रीमती गुलशन पत्नी शमशाद 4- शोएब पुत्र फईमुद्दीन निवासीगण ग्राम गुनियाखेडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।

### कार्यवाही -

दिनांक 23/24.10.2024 की रात्रि में थाना नूरपुर पुलिस टीम को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गुनियाखेडी के जंगल में गौकशी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण ग्राम गुनियाखेडी के जंगल में खड़े हैं और गौकशी करने की फिराक में हैं । स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल गुनियाखेडी के जंगल में पहुंचकर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी । बदमाशों द्वारा की फायरिंग में एक गोली आरक्षी कुलदीप खोखर के बाएं बाजू में लगी । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा 02 अभियुक्तगण अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये । स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घायलो को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया ।

घायल बदमाश ने अपना नाम शाहरुख पुत्र नईमुद्दीन निवासी ग्राम गुनियाखेडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर बताया तथा अपने फरार साथियों का नाम 1- नाजिर पुत्र मेहन्दी निवासी ग्राम बेड़ा खुर्द थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व 2- शोएब पुत्र फईमुद्दीन निवासी ग्राम गुनियाखेडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर बताया ।

अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा गौवध करने के उपकरण बरामद किये गये । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 418/2024 धारा 3(5)/109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 22/23 की रात्रि में मैंने अपने दो अन्य फरार साथियों के साथ मिलकर गुनियाखेडी के रहने वाले अपने चाचा शमशाद के घर गौकशी की घटना की थी, जिसमें मेरी चाची गुलशन भी शामिल थी । अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ जारी है । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है । शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

शाहरुख पुत्र नईमुद्दीन निवासी ग्राम गुनियाखेडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

### **बरामदगी का विवरण –**

- 1- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस
- 2- गौवध करने के उपकरण

### **अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –**

1. मु0अ0सं0 416/2024 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 418/2024 धारा 3(5)/109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2-उ0नि0 रवि कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 3-उ0नि0 राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 4-का0 सोनू कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 5-का0 कुलदीप खोखर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 6-का0 परमवीर पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 7-का0 संदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नूरपुर

दिनांक 24.10.2024

**थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 416/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड में घायल अवस्था में किया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से अवैध शस्त्र व गौवध करने के उपकरण बरामद किये गये ।**

### संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 23.10.2024 को वादी श्री राहुल कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम गुनियाखेडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि ग्राम गुनियाखेडी में जंगल में प्रतिबन्धित गौवशीय अवशेष मिले हैं । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 416/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर, घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया । जिसके क्रम में शमशाद निवासी ग्राम गुनियाखेडी थाना

नूरपुर जनपद बिजनौर के मकान से गौकशी की घटना में प्रयुक्त उपकरण बरामद किये गये । विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियोग में अभियुक्तगण 1- नाजिर पुत्र मेहन्दी निवासी ग्राम बेड़ा खुर्द थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2- शाहरुख पुत्र नईमुद्दीन 3- श्रीमती गुलशन पत्नी शमशाद 4- शोएब पुत्र फईमुद्दीन निवासीगण ग्राम गुनियाखेडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।

### कार्यवाही -

दिनांक 23/24.10.2024 की रात्रि में थाना नूरपुर पुलिस टीम को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गुनियाखेडी के जंगल में गौकशी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण ग्राम गुनियाखेडी के जंगल में खड़े हैं और गौकशी करने की फिराक में हैं । स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल गुनियाखेडी के जंगल में पहुंचकर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी । बदमाशों द्वारा की फायरिंग में एक गोली आरक्षी कुलदीप खोखर के बाएं बाजू में लगी । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा 02 अभियुक्तगण अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये । स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घायलो को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया ।

घायल बदमाश ने अपना नाम शाहरुख पुत्र नईमुद्दीन निवासी ग्राम गुनियाखेडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर बताया तथा अपने फरार साथियों का नाम 1- नाजिर पुत्र मेहन्दी निवासी ग्राम बेड़ा खुर्द थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व 2- शोएब पुत्र फईमुद्दीन निवासी ग्राम गुनियाखेडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर बताया ।

अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा गौवध करने के उपकरण बरामद किये गये । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 418/2024 धारा 3(5)/109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 22/23 की रात्रि में मैंने अपने दो अन्य फरार साथियों के साथ मिलकर गुनियाखेडी के रहने वाले अपने चाचा शमशाद के घर गौकशी की घटना की थी, जिसमें मेरी चाची गुलशन भी शामिल थी । अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ जारी है । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है । शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

शाहरुख पुत्र नईमुद्दीन निवासी ग्राम गुनियाखेडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

### **बरामदगी का विवरण –**

- 1- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस
- 2- गौवध करने के उपकरण

### **अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –**

1. मु0अ0सं0 416/2024 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 418/2024 धारा 3(5)/109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2-उ0नि0 रवि कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 3-उ0नि0 राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 4-का0 सोनू कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 5-का0 कुलदीप खोखर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 6-का0 परमवीर पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 7-का0 संदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।